Witness No ....04.................For....अभियोजन साक्षी......... Deposition taken..... the ...11.08.2025... Witness's Apparent age .....33Y.......States on affirmation on oath my name is.........रावेल पटवा..
S/D/W of ......श्री जगसु प्रसाद..Occupation ....पटवारी...........................
Address पटवारी हल्का नंबर 4, तहसील वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज छ.ग.....

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अनिल गुप्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1. मैं वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक पटवारी हल्का नंबर–29, तहसील वाड्रफनगर में पटवारी के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत् था।

2. थाना बंसतपुर के अपराध क्रमांक 63/2022 धारा 294, 457, 323, 506, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(V)क, 3(1)(द)(ध) एस.सी.एस.टी.एक्ट के प्रकरण में मुझे तहसील कार्यालय वाड्रफनगर से घटनास्थल का पटवारी नजरी नक्शा तैयार करने हेतु दिनांक 18.04.2022 को तहरीर प्राप्त हुआ था।

3. तत्पश्चात् मेरे द्वारा दिनांक 25.04.2022 को घटनास्थल जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थिया के बताए अनुसार गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो **प्र.पी. 4** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल को लाल रंग स्याही से अंकित किया गया है।

4. दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा तहसील कार्यालय वाड्रफनगर को घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया गया था, जो **प्र.पी. 6** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एम.एस.अंसारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

5. यह कहना सही है कि उक्त घटना का नजरी नक्शा में घटनास्थल के पास सुखदेव कुशवाहा और राजकिशोर जायसवाल का मकान होना मेरे द्वारा चिन्हांकित किया गया है। यह कहना सही है

कि मेरे द्वारा प्रस्तुत घटना का नजरी नक्शा प्र.पी. 4 में घटनास्थल के पास मौजूद मकान सुखदेव कुशवाहा, राजकिशोर जायसवाल में से मैंने किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर नहीं कराया है।

6. यह कहना सही है कि जिन लोगों का मैंने नजरी नक्शा प्र.पी. 4 में साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कराया है, उनमें से एक भी व्यक्ति का घटनास्थल के आस पास कोई मकान मौजूद नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा सुखदेव कुशवाहा और राजकिशोर जायसवाल को उक्त नजरी नक्शा प्र.पी. 4 में गवाह नहीं बनाए जाने के संबंध में किसी बात का उल्लेख नहीं किया है।

7. यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल का नजरी नक्शा घटनास्थल पर जाकर नहीं बनाया हूं। यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करते समय घटनास्थल के आस पास मौजूद घरवालों से घटना के संबंध में किसी प्रकार का कोई तस्दीक नहीं किया था। साक्षी स्वतः कहता है कि उस समय कोई नहीं था।

8. यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल के आस–पास के किसी भी लोगों को नक्शा तैयार करने के संबंध में नोटिस नहीं दिया था और न ही नक्शा तैयार करने के संबंध में घटनास्थल पर उपस्थिति की सूचना दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने प्रार्थिया के कहने पर और उसके बताए अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा अपने कार्यालय में तैयार किया हूं।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

HEMANT KUMAR SARAF Digitally signed by HEMANT KUMAR SARAF Date: 2025.08.11 17:37:27 +0530

(हेमंत सराफ)
विशेष न्यायाधीश
(अ.जा. अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम)
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित

HEMANT KUMAR SARAF Digitally signed by HEMANT KUMAR SARAF Date: 2025.08.11 17:37:32 +0530

(हेमंत सराफ)
विशेष न्यायाधीश
(अ.जा. अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम)
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)